

प्रेस विज्ञप्ति
थाना- कोतवाली

थाना कोतवाली व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय 03 पशुतस्कर गिरफ्तार; 02 अवैध तमन्चा व कारतूस व 01 राशि बछड़ा, 05 मोबाईल फोन, लगभग 01 लाख रूपया नगद बरामद ।

पूर्व की घटना- थाना कोतवाली पर वादी मुकदमा मनीष प्रजापती पुत्र स्व0 इनदल प्रजापति निवासी हराइया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 09.01.2024 को मैं अपना भैंस व दो पड़िया, बैदोर में बांधकर घर मे सोने चला गया था, सुबह उठा तो देखा कि मेरी एक भैंस व दो पड़िया, बेदोर मे नही थी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 18.04.2024 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह व स्वाट प्रभारी द्वितीय श्रीप्रकाश शुक्ला मय टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. आदिल पुत्र मोहम्मद उमर निवासी ग्राम पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष, 2. मो0 अकरम पुत्र समसुद्दीन निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 29 वर्ष, 3. सलमान उर्फ मो0 सैफ पुत्र नसरुद्दीन निवासी जहांगीरपट्टी थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष को समय 21.45 बजे बड़ी हैरिया पुल से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 अवैध तमन्चा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 राशि बछड़ा , 5 मोबाईल फोन व 99900 रूपया बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1.मु0अ0सं0 227/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि, 2-मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/ 25 शस्त्र अधि, 3-मु0अ0सं0 229/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 227/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़।
- 2-मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/ 25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़
- 3-मु0अ0सं0 229/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रुरता अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आदिल पुत्र मोहम्मद उमर निवासी ग्राम पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष,
2. मो0 अकरम पुत्र समसुद्दीन निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 29 वर्ष,
3. सलमान उर्फ मो0 सैफ पुत्र नसरुद्दीन निवासी जहांगीरपट्टी थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 1- 02 अवैध तमन्चा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2- 01 राशि बछड़ा, 5 मोबाईल व 99900 रूपया

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हमलोग दिनांक 09.01.24 को अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर छोटी हैरिया से एक भैंस व दो पाड़ी की चोरी किये थे जिसको हम लोग बेच दिए थे जिसका बचा पैसा गिरफ्तारी के समय हम लोगों के पास से बरामद हुआ तथा घटना करते समय लोगों को डराने के लिए आदिल व अकरम अपने पास कट्टा व कारतूस रखे थे। जो बरामद हुआ है।

आपराधिक इतिहास –

1. सलमान उर्फ मो0 सैफ

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	01/2017	60 आब.अधि.	सरपतहा	जौनपुर
2	287/22	323,504,506 भादवि	सरपतहा	जौनपुर
3	127/18	379 भादवि	सरपतहा	जौनपुर
4	146/18	279,427 भादवि	सरपतहा	जौनपुर
5	229/24	3/5ए/8 गो.नि.अधि. व 11 पशु क्रुरता अधिनियम	कोतवाली	आजमगढ़
6	25/24	379/411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
7	127/24	379/411 भादवि	सिधारी	आजमगढ़
8	424/22	8/21 एनडीपीएस एक्ट	कादीपुर	सुल्तानपुर

2- मो0 अकरम

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	6/22	147/148/323/452/504/506 भादवि	खुटहन	जौनपुर
2	42/22	14/148/308/323/325/504/506 भादवि	खुटहन	जौनपुर
3	14/14	323,427,504,506 भादवि	खुटहन	जौनपुर
4	228/24	3/25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़
5	229/24	3/5ए/8 गो.नि.अधि. व 11 पशु क्रुरता अधिनियम	कोतवाली	आजमगढ़
6	25/24	379/411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
7	127/24	379/411 भादवि	सिधारी	आजमगढ़

3-आदिल

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	247/19	323,504,506 भादवि	खुटहन	जौनपुर
2	258/19	323,504,506 भादवि	खुटहन	जौनपुर
3	127/24	379/411 भादवि	सिधारी	आजमगढ़
4	227/24	3/25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़
5	229/24	3/5ए/8 गो.नि.अधि. व 11 पशु क्रुरता अधिनियम	कोतवाली	आजमगढ़
6	25/24	379/411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

- 1- उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, उ0नि0 राज नरायन पाण्डेय, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, थाना कोतवाली आजमगढ़
- 2- उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, हे0कां0 भोला नाथ, हे0कां0 सतीष यादव, थाना कोतवाली आजमगढ़
- 3- हे0कां0 अजीत सिंह, हे0कां0 हरेन्द्र यादव, कां0 अखिलेश यादव थाना कोतवाली आजमगढ़
- 4- स्वाट टीम द्वितीय प्रभारी उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला, हे0कां0 विनोद सरोज, स्वाट टीम जनपद आजमगढ़
- 5- हे0कां0 सतेन्द्र यादव, हे0कां0 अभिमित तिवारी, कां0 मुकेश यादव, कां0 धर्मेन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद आजमगढ़।